UP PCS

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) लगभग प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से पीसीएस (संयुक्त राज्य/ऊपरी अधीनस्थ सेवा) परीक्षा आयोजित करता है। इन परीक्षाओं में बड़ी संख्या में उम्मीदवार सम्मिलित होते हैं।

पात्रता मापदंड
(Eligibility)

शैक्षिक अर्हता (Educational Qualification)

- अभ्यार्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री या समकक्ष अर्हता अवश्य धारिता करनी चाहिए।
- लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के माध्यम से चयन वाले विशिष्ट अर्हता के पद निम्नलिखित हैं –

उपनिबन्धक, सहायक अभियोजन अधिकारी (परिवहन)	विधि
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/ सह जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अन्य समकक्षीय प्रशासनिक पद, जिला प्रशासनिक अधिकारी	स्नातकोत्तर उपाधि
जिला गन्ना अधिकारी, उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह 'ख' (विकास शाखा)	कृषि स्नातक
जिला लेखा परीक्षा अधिकारी (वित्त लेखा परीक्षा अनुभाग)	वाणिज्य स्नातक
सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान (श्रेणी–1)/ सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान (श्रेणी–2)	एक विषय के रूप में भौतिकी या यांत्रिकी अभियंत्रण सहित विज्ञान में स्नातक उपाधि
सहायक श्रमायुक्त	वाणिज्य विधि या एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र या समाज शास्त्र के साथ कला में स्नातक।
जिला कार्यक्रम अधिकारी	समाज शास्त्र या समाज विज्ञान या गृह विज्ञान या समाज कार्य में स्नातक उपाधि।
वारिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	स्नातकोत्तर उपाधि के साथ शिक्षा स्नातक
जिला प्रोबेशन अधिकारी	मनोविज्ञान या समाज शास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समकक्ष कोई अर्हता या सामाजिक कार्य की किसी शाखा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
अभिहित अधिकारी/खाद्य सुरक्षा अधिकारी	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता हो। (2) खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हता में से कम से कम एक अर्हता जो निम्नवत है– मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान में स्नातक की उपाधि या रसायन विज्ञान में स्नाकोत्तर की उपाधि या औषधि में उपाधि या केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समकक्ष/मान्यता प्राप्त अर्हता, परन्तु किसी

SARASWATI IAS

	व्यक्ति को, जिसका विनिर्माण आयात या किसी खाद्य पदार्थ के विक्रय में कोई वित्तीय हित हो, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त नही किया जायेगा।
सांख्यिकी अधिकारी	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी या सांख्यिकी या कृषि सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता।
श्रम प्रवर्तन अधिकारी	अर्थशास्त्र/समाज शास्त्र/ वाणिज्य के साथ स्नातक उपाधि तथा विधि /श्रम संबंध/ श्रम कल्याण/श्रम विधि/वाणिज्य/समाज कार्य/समाज कल्याण/व्यापार प्रबंधन/कार्मिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।
जिला उद्यान अधिकारी श्रेणी–1	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान/उद्यान विज्ञान में स्नातक (बी.एस.सी) (कृषि उद्यान उपाधि)
विस्तार सेवा अधिकारी श्रेणी– 2	विज्ञान स्नातक (बी.एस.सी) या विज्ञान स्नातक का उपाधि के बाद राजकीय फल परिरक्षण एवं डिब्बा बंद संस्थान लखनऊ से या किसी अन्य संस्थान से 15 मास का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम किया हो या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होटल प्रबंधन और खान–पान व्यवस्था में तीन वर्षीय डिप्लोमा किया हो, या खाद्य प्रौद्योगिकी मे विज्ञान स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त किया हो। **या** खाद्य प्रसंस्करण में विशेष प्रश्नपत्र (विषय) के साथ उद्यान में विज्ञान स्नातकोत्तर उपाधि।

केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन वाले विशिष्ट अर्हता के पद

कर निर्धारण अधिकारी	55 प्रतिशत अंकों सहित कार्मस अथवा अर्थशास्त्र में स्नातक उपाधि।
विधि अधिकारी **(लोक निर्माण, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग)**	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। 2. संबंधित विधिज्ञ परिषद् या भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त सम्बद्ध विधिज्ञ संघ (बार एसोसिएशन) में पंजीकरण और विधिज्ञ परिषद्/विधिज्ञ संघ द्वारा निर्गत प्रमाणित/दो वर्षीय अनुभव प्रमाणपत्र।
विधि अधिकारी (मण्डी परिषद्)	विधि स्नातक के साथ बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया से मान्यता प्राप्त बार काउन्सिल में रजिस्टर्ड हो एवं बार

SARASWATI IAS

	काउन्सिल/बार एसोसिएशन द्वारा प्रदत्त पाँच वर्ष की प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र हो।
विपणन अधिकारी/सचिव श्रेणी – 2 (मण्डी परिषद्)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि, कृषि विपणन, विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र में स्नातक उपाधि हो।
लेखा एवं सत्प्रेक्षाधिकारी (मण्डी परिषद्)	एक विषय के रूप में लेखा शास्त्र के साथ वाणिज्य में स्नातक और किसी उत्तरदायित्व–पूर्ण हैसियत में लेखा कार्य का कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव।
ज्येष्ठ गन्ना विकास अधिकारी	कृषि विज्ञन में स्नातकोत्तर तथा कम्प्यूटर संचालन में 'CCC' प्रमाण पत्र।
पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी	पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक (बी.वी.एस.सी.एण्ड ए. एच) अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि।

आयु सीमा (Age Limit)

- **अधिकतम आयु – 40 वर्ष**
- **न्यूनतम आयु – 21 वर्ष**

1. परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यार्थी को 1 जुलाई तक 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, जबकि अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गयी है।
2. दिव्यांग हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है।
3. उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यार्थियों के लिए/खेलों के कुशल खिलाड़ियों/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारियों/उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्राप्त होती है।
4. उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांग अभ्यार्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी।
5. उत्तर प्रदेश के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिए जिन्होंने 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्राप्त होती है।

वर्ग	आयु सीमा में छूट
अनुसूचित जाति	5 वर्ष
अनुसूचित जनजाति	5 वर्ष
पिछड़े वर्ग	5 वर्ष
उत्तर प्रदेश के कुशल खिलाड़ी	5 वर्ष
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी/उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मचारी	5 वर्ष
दिव्यांग अभ्यार्थी	15 वर्ष
उत्तर प्रदेश के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिए जिन्होंने 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।	5 वर्ष

प्रयास (Attempts)

उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रयास (Attempt) की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। निर्धारित आयु सीमा तक अभ्यार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

SARASWATI IAS

आरक्षण (Reservation)

उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जायेगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों – उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित/महिला अभियार्थियों/उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों/ उत्तर प्रदेश समाज के दिव्यांग अभ्यार्थियों को भी विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार रिक्तियाँ बनने पर आरक्षण प्राप्त होगा। इसी प्रकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWSs) के ऐसे व्यक्तियों जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नहीं है, तथा उत्तर प्रदेश राज्य के ही मूल निवासी को 10 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है।

पद (Posts)

डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, खंड विकास अधिकारी, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सहायक आयुक्त (वाणिज्यिक कर), जिला कमांडेंट होमगार्ड, गन्ना निरीक्षक और सहायक चीनी आयुक्त, अधीक्षक जेल, प्रबंधक क्रेडिट (लघु उद्योग), प्रबंधक विपणन और आर्थिक सर्वेक्षण (लघु उद्योग), कार्यकारी अधिकारी ग्रेड–।/सहायक नगर आयुक्त, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/एसोसिएट DIOS और अन्य समकक्ष प्रशासनिक पद, सहायक निदेशक उद्योग (विपणन), सहायक श्रमायुक्त, वरीष्ठ व्याख्याता DIET , नामित अधिकारी, सहायक आयुक्त उद्योग, सांख्यिकीय अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी, वाणिज्यिक कर अधिकारी, जिला अल्पसख्यक कल्याण अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी (पंचायती राज), उप सचिव (आवास और शहरी नियोजन) क्षेत्र राशन अधिकारी, जिला पिछड़ा कल्याण अधिकारी, नायब तहसीलदार, जिला सेविंग ऑफिसर, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी (नगर विकास) लेखा अधिकारी (नगर विकास), जिला आपूर्ति अधिकारी ग्रेड–2, अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण), यात्री/ माल कर अधिकारी, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, सहायक रोजगार अधिकारी, लेखा अधिकारी (स्थानीय निकाय), क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रार (सहकारिता), जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला गन्ना अधिकारी, यूपी कृषि सेवा समूह–''बी'' (विकास शाखा), जिला प्रशासनिक अधिकारी, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी (राजस्व लेखा परीक्षा), सहायक नियंत्रक कानूनी माप (ग्रेड–1 और ग्रेड–2), जिला प्रबंधक अधिकारी, जिला युवा कल्याण और राज्यिक विकास दल अधिकारी, सूचना अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी/ पटकथा लेखक/फीचर लेखक/प्रभारी अंग्रेजी, श्रम परिवर्तन अधिकारी, आबकारी निरीक्षक, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट इंटरनेट कॉलेज, खाद्य सुरक्षा अधिकारी।
पूर्वोक्त पदों में से प्राप्त परीक्षाओं को इस परीक्षा में शामिल किया गया हैं प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम से पहले प्राप्त शेष पदों की आवश्यक्ताएं इस परीक्षा में जोड़ी जा सकती हैं।

परीक्षा की योजना

प्रारम्भिक तथा प्रधान परीक्षा की रूपरेखा

(क) प्रारम्भिक परीक्षा

प्रारम्भिक परीक्षा में दो अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे जिसमें प्रत्येक प्रश्नपत्र 200 अंको का होगा।

विषय	अंक	अवधि	प्रश्नों की संख्या
सामान्य अध्ययन– प्रश्नपत्र I	200	2 घंटे	150
सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II (CSAT)	200	2 घंटे	100

नोट :

1. प्रथम प्रश्न पत्र (सामान्य अध्ययन) में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका कुल अंक 200 होता है।

2. प्रश्न पत्र– II (CSAT) में कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका कुल अंक 200 होता है। यह प्रश्न पत्र क्वालीफाइंग होता है। इस प्रश्न पत्र में 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने आवश्यक हैं।
3. दोनों ही प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) प्रकार के होते है।
4. प्रश्नपत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनो ही भाषाओं में तैयार किये जाते हैं।
5. दोनों प्रश्नपत्रों में निगेटिव मार्किंग होती है। तीन गलत उत्तर पर एक सही उत्तर के बराबर अंक काट लिए जाते हैं।
6. प्रारंभिक परीक्षा में कट–ऑफ मात्र प्रथम प्रश्नपत्र (सामान्य अध्ययन) में प्राप्त अंक के आधार पर निर्धारित होता है।

मुख्य परीक्षा

उत्तर प्रदेश पीसीएस की मुख्य परीक्षा में कुल आठ प्रश्न पत्र होते हैं। इनमें सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की भांति सामान्य अध्ययन के चार प्रश्न पत्र शामिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त पीसीएस मुख्य परीक्षा में अब वैकल्पिक एक विषय का चयन करना है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से यह घोषणा की गई है कि यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा का स्वरूप सन् 2018 से इस नये पैटर्न पर ही आधारित होगा। निःसंदेह इस नए पैटर्न से ऐसे लाखों विद्यार्थियों को लाभ होगा जो यूपीएससी और पीसीएस दोनों परीक्षाओं की तैयारी एक साथ करेंगे।

उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा का नया स्वरूप

विषय	**अंक**
सामान्य हिंदी	150 अंक
निबंध	150 अंक
सामान्य अध्ययन–1	200 अंक
सामान्य अध्ययन–2	200 अंक
सामान्य अध्ययन–3	200 अंक
सामान्य अध्ययन–4	200 अंक
वैकल्पिक विषय –1	200 अंक
वैकल्पिक विषय –2	200 अंक
लिखित परीक्षा का योग	1500 अंक
साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षा	100 अंक
कुल योग (Total Marks)	**1600 अंक**

SARASWATI IAS

अनिवार्य विषय :

सामान्य हिन्दी, निबंध और सामान्य अध्ययन (प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ प्रश्नपत्र) पेपर परम्परागत प्रकार के होते हैं। प्रश्नों को हल करने के लिए तीन घंटे का समय दिया जाता है। वैकल्पिक प्रश्न पत्रों के लिए भी तीन घंटे का समय दिया गया है।

नोट :– उम्मीदवार को सामान्य हिन्दी के अनिवार्य पेपर में ऐसे न्यूनतम अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होगी, जैसा कि सरकार या आयोग द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। वैकल्पिक विषय के सभी प्रश्न पत्रों में दो खण्ड होंगे और प्रत्येक खण्ड में चार प्रश्न होंगे। उम्मीदवारो को केवल पांच प्रश्नों के उत्तर देने की आवश्यकता होती है, जबकि उन्हे प्रत्येक अनुभाग से न्यूनतम दो प्रश्नों का चयन करना चाहिए।

वैकल्पिक विषय

1.	कृषि	2.	प्राणि विज्ञान
3.	रसायन विज्ञान	4.	भौतिक विज्ञान
5.	गणित	6.	भूगोल
7.	अर्थशास्त्र	8.	समाज शास्त्र
9.	दर्शनशास्त्र	10.	भू– विज्ञान
11.	मनोविज्ञान	12.	वनस्पति विज्ञान
13.	विधि	14.	पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान
15.	सांख्यिकी	16.	प्रबंधन
17.	राजनीति विज्ञान तथा अन्तर्राष्ट्रीय संबंध	18.	इतिहास
19.	नृ–विज्ञान	20.	सिविल अभियान्त्रिकी
21.	यांत्रिक इंजीनियरी	22.	विद्युत इंजीनियरी
23.	अंग्रेजी साहित्य	24.	उर्दू साहित्य
25.	हिन्दी साहित्य	26.	संस्कृत साहित्य
27.	वाणिज्य एवं लेखांकन	28.	लोक प्रशासन
29.	चिकित्सा विज्ञान		

व्यक्तित्व परीक्षा/मौखिक परीक्षा (कुल अंक : 100)

1– सिविल सेवा परीक्षा में साक्षात्कार के लिए कुल 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। साक्षात्कार एवं मुख्यपरीक्षा में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर अंतिम परिणाम (Merit List) तैयार किया जाता है।

2– मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का साक्षात्कार एक बोर्ड द्वारा लिया जाता है। साक्षात्कार में उम्मीदवारों से परिचयात्मक अथवा सामान्य रुचि के प्रश्न पूछे जाते हैं।

घोषणा

पीसीएस परीक्षा की यह जानकारी UPPSC द्वारा दी गयी सूचनाओं पर आधारित है। यहां इसकी प्रस्तुति सूचनाओं अथवा लिखने में त्रुटि हो सकती है। कृपया UPPSC द्वारा प्रस्तुत मूल सूचनाओं का अवलोकन अवश्य करें।

प्रारंभिक परीक्षा : पाठ्यक्रम

प्रथम प्रश्न पत्र (सामान्य अध्ययन)

- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं
- भारत का इतिहास और स्वाधीनता आंदोलन

SARASWATI IAS

- भारत एवं विश्व का भूगोल – भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल
- भारतीय राज्यतंत्र, और शासन–संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोकनीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे आदि।
- आर्थिक एवं सामाजिक विकास– सतत् विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि।
- पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे, जिनके लिए विषय गत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है।
- सामान्य विज्ञान

सामान्य अध्ययन : द्वितीय प्रश्न पत्र (क्वालीफाइंग)

- बोधगम्यता
- संचार कौशल सहित अंतर–वैयक्तिक कौशल, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता
- निर्णय लेना और समस्या समाधान
- सामान्य मानसिक योग्यता
- आधारभूत अंकीय योग्यता (दसवीं स्तर तक के)
- आंकड़ा विश्लेषण – चार्ट, ग्राफ, सारणी, आँकड़ा पर्याप्तता आदि (दसवीं स्तर तक के)
- सामान्य अंग्रेजी (दसवीं स्तर तक के)
- सामान्य हिन्दी (दसवीं स्तर तक के)

मुख्य परीक्षा : पाठ्यक्रम

लिखित परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न होंगे।

1. सामान्य हिन्दी– 150 अंक

- दिये हुए गद्य खण्ड का अवबोध एवं प्रश्नोत्तर।
- संक्षेपण।
- सरकारी एवं अर्धसरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र।
- शब्द ज्ञान एवं प्रयोग।
  (अ) उपसर्ग एवं प्रत्यय प्रयोग, (ब) विलोम शब्द, (स) वाक्यांश के लिए एक शब्द,
  (द) वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि,
- लोकोक्ति एवं मुहावरे।

2. निबंध

उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र में तीन निबंध का चयन कर उन्हें लिखना होगा। प्रश्न पत्र में कुल तीन खण्ड होते हैं। प्रत्येक खंड से एक टॉपिक चुनकर इस पर 700 शब्दों में निबंध लिखना आवश्यक हैं। तीन खंडों में, निबंध का विषय निम्नलिखित होगा–

(अ) 1. साहित्य और संस्कृति, 2. सामाजिक क्षेत्र, 3. राजनीतिक क्षेत्र।

(ब) 1. विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, 2. आर्थिक क्षेत्र, 3. कृषि, उद्योग और व्यापार।

(स) 1. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन, 2. प्राकृतिक आपदाएँ, भूस्खलन, भूकम्प, सूखा आदि, 3. राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम और परियोजनाएँ।

3. सामान्य अध्ययन–1

SARASWATI IAS

- भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के रूप में साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे।
- 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएँ, व्यतिव विषय।
- स्वतंत्रता संग्राम– इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महतवपूर्ण व्यक्ति/उनका योगदान।
- स्वतंत्रता के पश्चात् देश के अंदर एकीकारण और पुनर्गठन।
- विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं यथा औद्योगिक क्रांति, विश्वयुद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शनशास्त्र जैसे साम्यवाद, पूँजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे।
- भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधतां
- महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं सम्बद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षा के उपाय।
- उदारीकरण, निजी करण और वैश्वीकरण का अभिप्राय और उनका भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था, राज्य और समाज संरचना पर प्रभाव।
- सामाजिक सश्क्तीकरण, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता।
- विश्व के प्रमुख प्रकृतिक संसाधनों का वितरण – जल, मिट्टियाँ एवं वन, दक्षिण पूर्व एशिया में (भारत के विशेष संदर्भ में)
- भौतिक भूगोल की प्रमुख विशिष्टताएं – भूकम्प, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएं, चक्रवात, समुद्री जल धाराएं, पवन एवं हिम सरिताएं।
- भारत के सामुद्रिक संसाधन एवं दनकी संभाव्यता।
- मनव प्रवास विश्व की शरणार्थी समस्या– भारत – उपमहाद्वीप के संदर्भ में।
- सीमान्त तथा सीमाएं – भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में।
- जनसंख्या एवं अधिवास– प्रकार एवं प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर एवं स्मार्ट ग्राम।
- उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान – इतिहास, संस्कृति, कला, साहित्य, वास्तुकला, त्योहार, लोक–नृत्य साहित्य, प्रादेशिक भाषाएं, धरोहरें, सामाजिक रीति रिवाज एवं पर्यटन।
- उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान – भूगोल मानव एवं प्रकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टियाँ, वन, वन्य–जीव, खदान और खनिज, सिंचाई के स्रोत।

4. सामान्य अध्ययन–2

- भारतीय संविधान– ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और आधारभूत संरचना।
- संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां।
- केन्द्र–राज्य वित्तीय संबंधों में वित आयोग की भूमिका।
- शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थाएं। वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों का उदय एवं उनका प्रयोग।
- भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना।
- संसद और राज्य विधायिका–संरचना, कार्य–संरचना, शक्तियां एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय।

SARASWATI IAS

- कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना संगठन और कार्य– सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका।
- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं।
- विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व।
- संविधिक, विनियामक और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय।
- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन एवं कार्याभाग।
- विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग–गैरसरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघो, दानकर्ताओं, लोकापकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका।
- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गो के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य–निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय।
- गरीबी और भूख से संबंधित विषय एवं राजनैतिक व्यवस्थाके लिए इनका निहितार्थ।
- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई–गवर्नेस–अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं : नागरिक चार्टर तथा अन्य उपाय।
- लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवाओं की भूमिका।
- भारत एवं अपने पड़ोसी देशों से इसका संबंध।
- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार।
- भारत के हितों, भारतीय परिदृश्य पर विकसित तथा विकाशसील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।
- महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय, संस्थाएं और मंच उनकी संरचना, अधिदेश तथा उनका कार्याभाग।
- उत्तर प्रदेश के राजनैतिक, प्रशासनिक, राजस्व एवं न्यायिक व्यवस्थाओं की विशिष्ट जानकारी।
- क्षेत्रीय, प्रान्तीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम।

5. सामान्य अध्ययन–3

- भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य एवं उपनब्धियाँ, नीति (NITI) आयोग का भूमिका।
- गरीबी मुद्दे, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय एवं समावेशी संवृद्धि।
- सरकारी बजट के अवयव तथा वित्तीय प्रणाली।
- मुख्य फसलें– देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटन–सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली–कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन, संबंधित विषय और बाधाएं : किसानों की सहायता के लिए ई–प्रौद्योगिकी।
- प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली–उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार, बफरस्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय, प्रौद्योगिकीमिशन पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र।

SARASWATI IAS

- भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग कार्यक्षेत्र एवं महत्व, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन।
- भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् भूमि सुधार।
- भारत में वैश्वीकरण तथा उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिकी नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव।
- आधारभूत संरचना : ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन रेलवे आदि।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इनका प्रभाव।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीय उपलब्धियां, देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास।
- सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कम्प्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो– टैक्नोलॉजी, बायो–टैक्नोलॉजी और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता।
- पर्यावरणीय सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीवन संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरणीय प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।
- आपदा और आपदा प्रबंधन।
- अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियाँ– आणुविक प्रसार के मुद्दे, अतिवाद के कारण तथा प्रसार, संचार तंत्र, मीडिया ी भूमिका तथा सामाजिक तंत्रीयता, साइबर सुरक्षा के आधार, मनी लॉन्डरिंग तथा मानव तस्करी।
- भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ– आतंकवाद, भ्रष्टाचार, प्रतिविद्रोह तथा संगठित अपराध।
- सुरक्षा बलों की भुमिका, प्रकार तथा शासनाधिकार, भारत का उच्च रक्षा संगठन।
- उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य का विशिष्ट ज्ञान– उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का सामान्य विवरण राज्य के बजट। कृषि, उद्योग, आधारभूत संरचना एवं भौतिक संसाधनो का महत्व। मानव संसाधन एवं कौशल विकास, सरकार के कार्यक्रम एवं कल्याणकारी योजनाएं।
- कुषि, बागवानी, वानिकी एवं पशुपालन के मुद्दे।
- उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में कानून एवं व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा।

6. सामान्य अध्ययन–4

- **नीतिशास्त्र तथा मानवीय सह–संबंध :** मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम, नीतिशास्त्र के आयाम, निजी ओर सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र मानवीय मूल्य–महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा , मूल्य विकसित करने में परिवार, समात और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका।
- **अभिवृति :** सारांश, संरचना, वृति, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव उवं संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरूचि, सामाजिक प्रभाव और धारण।
- सिविल सेवा के लिए अभिरूचि तथा बुनियादी मुल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गो के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदना।
- **भावात्मक समक्ष :** अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग।
- भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान।
- **लोक प्रशासनों में लोक/सिविल सेवा मूल्य तथा नीतिशास्त्र :** स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थाओं में नैतिक चिंताए दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियम तथा अंतर्रात्मा शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधिव्यवस्था में नैतिक मुद्दे, कारपोरेट शासन व्यवस्था।

SARASWATI IAS

- **शासन व्यवस्था में ईमानदारी** : लोकसेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान–प्रदान और पारदर्शिता, समचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां।
- उपर्युक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन (केस स्टडी)।

घोषणा

पीसीएस परीक्षा की यह जानकारी UPPSC द्वारा दी गयी सूचनाओं पर आधारित है। यहां इसकी प्रस्तुति, सूचनाओं अथवा लिखने में त्रुटि हो सकती है। कृपया UPPSC द्वारा प्रस्तुत मूल सूचनाओं का अवलोकन अवश्य करें।

SARASWATI IAS